भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 763

जिसका उत्तर 07.12.2023 को दिया जाना है

आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली

763 श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री सी.आर.पाटिल:
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:
श्री प्रताप चंद्र षड्ड.गी:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री पी.पी.चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) की स्थापना के बाद से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर एटीएमएस के कार्यान्वयन के वित्तपोषण की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान राज्यों से गुजरने वाले सभी राजमार्गों पर एटीएमएस की स्थापना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) अगस्त, 2019 में अधिनियमित, मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों, सड़कों या राज्य के भीतर कोई भी नगर जिसकी जनसंख्या केन्द्र सरकार द्वारा विर्निदिष्ट सीमा तक है, में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और उनके प्रवर्तन का प्रावधान करता है। तदनुसार, मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च घनत्व वाले गलियारों में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए अगस्त 2021 में नियम प्रकाशित किए हैं।

आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा उच्च यातायात घनत्व वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे जैसे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ट्रांस-हरियाणा, पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आदि में स्थापित की गई है। एटीएमएस में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों के प्रावधान हैं जो राजमार्ग पर घटनाओं की शीघ्र पहचान करने और

राजमार्गों की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में मदद करते हैं, जिससे ऑन-साइट सहायता के प्रतिक्रिया समय में सुधार होता है। एटीएमएस की स्थापना राजमार्ग परियोजना व्यय का हिस्सा रही है। सड़क दुर्घटनाओं पर एटीएम की स्थापना के प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है।

इसके अलावा, एनएचएआई ने हाल ही में दिनांक 10.10.2023 को नई एटीएमएस नीति जारी की है जिसमें ई-चालान आदि की सुविधा के माध्यम से यातायात नियामक को लागू करने का प्रावधान है। नई नीति में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे को कवर करने की परिकल्पना की गई है।

****